



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-184 राँची, बुधवार, 19 फाल्गुन, 1942 (श०)
10 मार्च, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

10 मार्च, 2021

संख्या-एल0जी0-17/2006 (खंड-I)-05/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-09/03/2021 को अनुमति दे चुँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 01, 2021)

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2020-21 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 7323,24,73,079 (सात हजार तीन सौ तेईस करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार उनासी) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) अधिनियम, 2021

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
2. 2020-21 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 7323,24,73,079 (सात हजार तीन सौ तेईस करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार उनासी) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2020 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 7323,24,73,079 (सात हजार तीन सौ तेईस करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार उनासी) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।
3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2020 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2021 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
01	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व/Revenue	149,31,52,000		149,31,52,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Agriculture Division)	पूंजी/Capital			
02	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	15,02,09,000		15,02,09,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Animal Husbandry Division)	पूंजी/Capital			
04	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	राजस्व/Revenue	2,98,00,000		2,98,00,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	पूंजी/Capital			
06	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	राजस्व/Revenue	15,79,34,000		15,79,34,000
	Cabinet (Election) Department	पूंजी/Capital			

07	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	48,00,000		48,00,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व/Revenue	1070,92,79,000		3838,42,79,000
	Energy Department	पूंजी/Capital	27,67,50,00,000		
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व/Revenue	80,00,000		80,00,000
	Excise and Prohibition Department	पूंजी/Capital			
12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	राजस्व/Revenue	8,000		8,000
	Planning-cum-Finance Department (Finance Division)	पूंजी/Capital			
16	योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	राजस्व/Revenue	4,40,000		4,40,000
	Planning-cum-Finance Department (National Savings Division)	पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व/Revenue	139,03,86,000		139,03,86,000
	Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व/Revenue	113,37,58,000		113,37,58,000
	Forest, Environment and Climate Change Department	पूंजी/Capital			

20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व/Revenue	162,73,84,000		503,88,38,000
	Health , Medical Education and Family Welfare Department	पूंजी/Capital	341,14,54,000		
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	राजस्व/Revenue	131,44,88,064		333,77,39,064
	Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	पूंजी/Capital	202,32,51,000		
23	उद्योग विभाग	राजस्व/Revenue	4,85,57,000		5,51,57,000
	Industries Department	पूंजी/Capital	66,00,000		
26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व/Revenue	83,98,97,000		83,98,97,000
	Labour, Employment, Training and Skill Development Department	पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग	राजस्व/Revenue	12,00,000		12,00,000
	Law Department	पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय	राजस्व/Revenue		1,61,75,000	1,61,75,000
	High Court of Jharkhand	पूंजी/Capital			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व/Revenue	41,00,000		41,00,000
	Mines and Geology Department	पूंजी/Capital			
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	राजस्व/Revenue			1,50,84,000
	Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Minorities Welfare Division)	पूंजी/Capital	1,50,84,000		

31	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	6,00,000		6,00,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Parliamentary Affairs Division)	पूंजी/Capital			
32	विधान सभा	राजस्व/Revenue	1,88,35,000		1,88,35,000
	Legislative Assembly	पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	राजस्व/Revenue	35,60,000		35,60,000
	Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	पूंजी/Capital			
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व/Revenue		8,27,000	8,27,000
	Jharkhand Public Service Commission	पूंजी/Capital			
35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	राजस्व/Revenue	14,50,000		14,50,000
	Planning-cum-Finance Department (Planning Division)	पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व/Revenue	16,53,40,000		16,53,40,000
	Drinking Water and Sanitation Department	पूंजी/Capital			
38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	35,17,000		35,17,000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	पूंजी/Capital			

39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	16,09,000		16,09,000
	Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व/Revenue	9,36,32,000		9,36,32,000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व/Revenue	10,32,25,000		50,63,25,000
	Road Construction Department	पूंजी/Capital	40,31,00,000		
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	992,08,78,000		995,21,88,000
	Rural Development Department (Rural Development Division)	पूंजी/Capital	3,13,10,000		
43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	23,71,65,000		23,71,65,000
	Higher and Technical Education Department (Science and Technology Division)	पूंजी/Capital			
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	राजस्व/Revenue			10,00,01,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	पूंजी/Capital	10,00,01,000		

48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	269,23,44,000		269,23,44,000
	Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व/Revenue	51,94,000		352,14,94,000
	Water Resources Department	पूंजी/Capital	351,63,00,000		
50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	राजस्व/Revenue			20,00,00,000
	Water Resources Department (Minor Irrigation Division)	पूंजी/Capital	20,00,00,000		
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	राजस्व/Revenue	53,49,16,015		53,49,16,015
	Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	पूंजी/Capital			
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	31,50,000		31,50,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	पूंजी/Capital			
53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	22,63,36,000		22,63,36,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)	पूंजी/Capital			

55	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) Rural Development Department (Rural Works Division)	राजस्व/Revenue			105,00,00,000
		पूंजी/Capital	105,00,00,000		
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) Rural Development Department (Panchayati Raj Division)	राजस्व/Revenue	3,00,000		3,00,000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	3,000		3,000
		पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	राजस्व/Revenue	4,73,33,000		4,73,33,000
		पूंजी/Capital			
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	177,70,53,000		181,05,92,000
		पूंजी/Capital	3,35,39,000		
योग /Total		राजस्व/Revenue	3474,98,32,079	1,70,02,000	3476,68,34,079
		पूंजी/Capital	3846,56,39,000		3846,56,39,000
महायोग / Grand Total			7321,54,71,079	1,70,02,000	7323,24,73,079

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
